अध्याय 2
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2
निष्पादन लेखापरीक्षा

यह अध्याय जल संसाधन विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तुत करता है।

जल संसाधन विभाग

2.1 जल संसाधन विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

राजस्थान देश का सबसे शुष्कतम राज्य है। जल क्षेत्र में पेश आ रही समस्याओं को देखकर, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999 मे दीर्घकालीन राज्य जल योजना समर्थित, राज्य जल नीति अपनायी गयी, जिसे 2010 में पुन: संशोधित किया गया। सतही जल के श्रेष्ठतम उपयोग तथा सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु जल संसाधन विभाग (जसंवि) द्वारा विभिन्न वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाऐं (ल.सि.प) प्रारम्भ की गयी। मार्च 2012 तक, तीन वृहत, छ: मध्यम और 159 लघु सिंचाई परियोजनाऐं पूर्ण हो गई थी तथा एक वृहद, पाँच मध्यम तथा 43 लघु सिंचाई परियोजनाऐं प्रगतिरत थी। 2009-12 के दौरान जल संसाधन विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मामले प्रकट हुऐं।

सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए सतही जल के उपयोग करने का राज्य सरकार का उद्देश्य, परियोजना स्थल की अनुपलब्धता, ड्राइंग तथा डिजाईन के अनुमोदन में विलम्ब, निधियों की अपर्याप्तता के कारण प्राप्त नही किया जा सका। इसके विलम्ब से परियोजनाओं की लागत मे अभिवृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप आमजन को लाभ प्राप्ति मे विलम्ब हुआ। परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए लाभ-लागत अनुपात की गलत तरीके से गणना के उदाहरण भी ध्यान मे आये। पर्याप्त वर्षा के बावजूद बाँधों में कम/बिल्कुल पानी नही आना दोषपूर्ण हाइड्रोलोजी को दर्शाता है जिससे 16 लघु सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 20.88 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ। संवेदक को ₹ 2.75 करोड़ का अदेय लाभ पहुंचाया गया क्योकि परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति आरोपित नही की गयी।

इसके अतिरिक्त, राज्य जल नीति के अनुसार जल की दरों में संशोधन नहीं करने से राज्य सरकार को राशि ₹ 147.50 करोड़ के राजस्व से वंचित रहना पड़ा तथा जल नियामक प्राधिकरण की स्थापना और निर्धारित माइलस्टोन प्राप्त नही करने के कारण यूरोपियन आयोग से अनुदान राशि ₹ 307.77 करोड़ प्राप्त नहीं हुई। निक्षेप कार्यो पर उपगत अधिक व्यय ₹ 2.01 करोड़ की वसूली नही हुई तथा राज्य की संचित निधि मे अदावाकृत निक्षेप शेष ₹ 0.95 करोड़ जमा नही हुए। बिना नहर, बाँधो के निर्माण

के लिए सिंचाई परियोनाऐं स्वीकृत की गयी तथा इसके परिणामस्वरूप पानी की उपयोगिता द्वारा सिंचाई क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति का अभाव रहा और इन परियोजनाओं पर ₹ 6.56 करोड़ का अलाभकारी व्यय उपगत हुआ। पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक निरीक्षण प्रणाली, अनुश्रवण और आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र कमजोर थे तथा विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा 1994 से बकाया थी।

2.1.1 परिचय

जल संसाधन विभाग (2005 तक सिंचाई विभाग) की स्थापना वर्ष 1949 मे सतही जल के श्रेष्ठतम उपयोग एवं अन्तर्राज्यीय नदी थालों के जल का कृषि और बाढ़ नियन्त्रण के उद्देश्य हेतु की गयी थी। राज्य के कुल क्षेत्रफल 342.52 लाख हैक्टेयर (है.) में से 257 लाख है. (75 प्रतिशत) कृषि योग्य भूमि है जो कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 11 प्रतिशत है। विभाग ने सतही जल का उपयोग और सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए विभिन्न वृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाऐं शुरू की।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य स्तर पर, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। तकनीकी मामलो हेतु विभागीय स्तर पर मुख्य अभियंता (मु.अ.) अतिरिक्त सचिव के रूप मे चार मु.अ./अतिरिक्त मुख्य अभियंता (अ.मु.अ.)[1] की सहायता से कार्य करते हैं। परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए चार और मु.अ.[2] कार्य कर रहे है। क्षेत्र स्तर पर 102 खण्डो के अधिशाषी अभियंता (अ.अ.), 28 अधीक्षण अभियंताओं (अधी.अ.) द्वारा पर्यवेक्षित होते है। जल संसाधन विभाग का संगठनात्मक ढांचा ***परिशिष्ट 2.1*** मे दिया गया है।

2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निर्धारित करना कि क्या:

- विभाग योजना का एक कुशल और प्रभावी तन्त्र रखता था,
- परियोजनाओं/योजनाओं के लिए धन का आवंटन, जारी करना तथा उपयोग पर्याप्त था और परिचालन नियन्त्रण प्रभावी था,
- परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक, प्रभावी तथा मितव्ययतापूर्वक निष्पादित किया गया था,
- गुणवत्ता नियंत्रण, आन्तरिक नियन्त्रण और अनुश्रवण पर्याप्त था।

1. अ.मु.अ. जयपुर, अ.मु.अ. जोधपुर, अ.मु.अ. उदयपुर, मु.अ. कोटा,
2. मु.अ. गुण नियन्त्रण एवं सतर्कता जयपुर, मु.अ. राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग, (रा.ज.सं.आ.वि.) जयपुर, मु.अ. (उत्तर) हनुमानगढ, मु.अ. नर्मदा नहर सांचोर,

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न से प्राप्त किये गये हैं:

- लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (लो.नि.वि. एवं ले.नि),
- राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (सा.वि. एवं ले.नि),
- राजस्थान सरकार का बजट मैनुअल,
- विभागीय मैनुअल और परियोजनाओं/योजनाओं के दिशा-निर्देश,
- भारत सरकार/राजस्थान सरकार/विदेशों से सहायता प्राप्त योजनाओं द्वारा समय-समय जारी दिशा-निर्देश/आदेश,
- राजस्थान किसान की सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन मे भागीदारी अधिनियम, 2000
- राजस्थान सिंचाई और ड्रेनेज अधिनियम, 1954 और नियम, 1955

2.1.5 लेखापरीखा कार्यक्षेत्र और कार्य प्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्य माह फरवरी 2012 से जून 2012 के दौरान 2009-12 की अवधि को शामिल कर संचालित किया गया। राजकीय सचिवालय, अनुसंधान, ड्राईग एंव डिजाईन (आई.डी.एण्ड आर.) और गुण नियन्त्रण एवं सतर्कता खण्डों सहित मुख्य अभियंताओं और जोनल कार्यालयों के अभिलेखों की जांच की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए 102 खण्डों मे से 25 खण्डों[3] का व्यवस्थित नमूना पद्धति अपनाते हुऐ सभी सम्भागो के व्ययो को अधोगत क्रम में स्थापित करते हुए चयन किया गया। चयनित खण्डो में सम्पूर्ण परियोजनाओं (एक दीर्घ चार मध्यम व 37 लघु) की नमूना जांच की।

इस विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा, मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल), राजस्थान सरकार मे शामिल की गयी थी।

अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के साथ 22 मई 2012 को ''प्रारम्भिक बैठक'' आयोजित की गयी थी जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य, क्षेत्र तथा कार्य प्रणाली पर विचार-विमर्श किया गया। अतिरिक्त

3. अअजसं खण्ड छबड़ा, चित्तौड़गढ, दौसा, डूंगरपुर, एस के ए पी नहर खण्ड डूंगरपुर, आर.डब्लू. एस.आर.पी खण्ड हनुमानगढ, खण्ड II हनुमानगढ, जयपुर, चवली नहर परियोजना खण्ड झालावाड़, जोधपुर, करोली, कोटा, मेड़ता सिटी, रावतसर, यान्त्रिक खण्ड सांचोर, नर्मदा केनाल परियोजना खण्ड I सांचोर, सीकर, सूरतगढ व उदयपुर, गुण नियन्त्रण एवं सर्तकता खण्ड जयपुर व उदयपुर, म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.अ खण्ड हनुमानगढ, झालावाड़, जोधपुर व कोटा

सचिव एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के साथ 12 दिसम्बर 2012 को ''समापन बैठक'' मे निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षो पर विचार-विमर्श किया गया। दिसम्बर 2012 मे निष्पादन लेखापरीक्षा पर उत्तर प्राप्त हुए थे जिनको यथायोग्य शामिल कर लिया गया।

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना और अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए जल संसाधन विभाग तथा उसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है।

2.1.6 आयोजना

राजस्थार सरकार द्वारा 1999 मे दीर्घकालीन राज्य जल योजना द्वारा समर्थित, जल नीति बनाई गई जिसको 2010 मे पुनः संशोधित किया गया। नीति के मुख्य उद्धेश्यों में जल विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता, सतही तथा भू-जल संसाधनो का एकीकरण, अन्तर्राज्यीय जल का श्रेष्ठतम उपयोग, जल संसाधन परियोजनाओं के विकास तथा प्रबन्धन मे सार्वजनिक-निजी भागीदारी, चल रही परियोजनाओं का आलोचनात्मक आंकलन, नई सिंचाई योजनाओं के गठन के पहले जल की उपलब्धता का ध्यान रखना शामिल है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा पांच वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई जिसे वार्षिक योजना में खण्डित किया गया जो खण्डो से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तैयार की गयी थी। यद्यपि, जल संसाधनों का विकास नहीं हुआ जैसा कि जल नीति मे परिकल्पित था तथा विवाद रहित भूमि की उपलब्धता, धन की पर्याप्तता, परियोजनाओं की व्यवहार्यता को सुरक्षित किये बिना कार्य निष्पादित किये गये, जिनका विवरण निष्पादन लेखापरीक्षा में दिया गया है।

भूमि की उपलब्धता के बिना कार्य के आवंटन के परिणामस्वरुप लागत अभिवृद्धि ₹ 80.84 करोड़।

2.1.6.1 लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (लो.नि.वि.एवं ले.नि.) के नियम 351 में उल्लिखित किया गया है कि किसी ऐसी भूमि पर कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए जिसे उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा सम्यक रुप से सौंपा नहीं गया हो। इसी के नियम 298(1) में भी कहा गया है कि भूमि की उपलब्धता किसी कार्य के आयोजना तथा डिजाईन के लिए पूर्व अपेक्षित है।

दो लघु सिंचाई परियोजना[4] तथा एक फीडर ***(परिशिष्ट 2.2)*** की नमूना जाँच में पाया गया कि ये कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण नहीं हो सके तथा मार्च 2012 तक भी प्रगतिरत थे। इन कार्यो के पूर्ण होने में देरी का मुख्य कारण परियोजना कार्यो की स्वीकृति/आवंटन के पूर्व विभाग के पास भूमि का विधिक स्वत्वाधिकार की अनुपलब्धता थी।

4. ल.सि.प.-बीबीएससी 8 से 20.11 किमी, तकली सिंचाई और जल आपूर्ति परियोजना तथा सुदारी फीडर।

विभाग द्वारा परियोजना कार्यो की स्वीकृति/कार्यादेश जारी करने के पश्चात् वन भूमि की स्वीकृति/निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरु की गयी थी जिसके परिणामस्वरुप न केवल ₹ 80.84 करोड़ की लागत अभिवृद्धि सहित परियोजनाओं को पूर्ण होने में विलम्ब हुआ बल्कि लाभार्थी किसानों को सिंचाई सुविधाओं के लाभों में देरी हुई।

अधिशाषी अभियंता, बी. एण्ड आर. सी. खण्ड, बांसवाड़ा ने कहा (मई 2012) कि वन भूमि की स्वीकृति की प्रक्रिया में एक लम्बा समय लग गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि भूमि का स्पष्ट स्वामित्व परियोजना की स्वीकृति के लिए पूर्व अपेक्षित था जबकि खण्ड द्वारा की गई पूरी कार्यवाही पश्च स्वीकृति थी, जो कि उपरोक्त नियम का उल्लघंन था।

तकली सिंचाई और जल प्रदाय परियोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2012) कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से किया गया था और तद्नुसार कार्य निष्पादित किया गया। सुदारी फीडर के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

अव्यवहार्य लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर अलाभकारी व्यय राशि ₹ 24.72 करोड़।

2.1.6.2 आठ खण्डो में 16 लघु सिंचाई परियोजनाओं ***(परिशिष्ट 2.3),*** जिनका निर्माण जुलाई 2002 तथा अप्रैल 2010 के बीच किया गया था, के अभिलेखों की जाँच (मार्च-मई 2012) में पाया गया कि इन लघु सिंचाई परियोजनाओं की भण्डारण क्षमता (8.35 एमसीएफटी से 101.11 एमसीएफटी) से 4,053.93 हैं. कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र (कृ.सिं.क्षे.) में सिंचाई अनुमानित की गयी थी। यद्यपि इन लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति, व्यवहार्य परियोजना के रूप में अच्छे जल रन ऑफ की गणना के आधार पर की गयी थी और स्ट्रेन्ज तालिका[5] के अनुसार जलग्रहण क्षेत्र को अच्छा/औसत के रुप में वर्गीकृत किया गया था लेकिन अच्छी वर्षा के बावजूद इनके पूर्ण होने के बाद भी इन लघु सिंचाई परियोजनाओं में कम/बिल्कुल पानी प्राप्त नहीं हुआ। इन नवनिर्मित/पुनर्निर्मित लघु सिंचाई परियोजनाओं में कम/बिलकुल पानी प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरुप न केवल इन लघु सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 20.88 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ बल्कि लक्षित किसान भी इच्छित सिंचाई सुविधाओं से वंचित रहे। लघु सिंचाई परियोजनाओं में वर्षा का वर्षवार विवरण, अनुमानित जल प्राप्ति तथा वास्तविक जल प्राप्ति का विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दिया गया है।

5. स्ट्रेन्ज तालिका- लसिंप की पानी आवक की गणना के लिए सर डब्ल्यू.एल. स्ट्रेन्ज, एक अंग्रेज अभियन्ता, द्वारा तैयार की गयी तालिका।

राज्य सरकार ने कहा (नवम्बर 2012) कि:

अलवर खण्ड की आमका तथा निम्बाहेरी और सीकर खण्ड की करोई, फतेहपुरा तथा सवाईपुरा लघु सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्ट्रेन्ज तालिका के अनुसार रन ऑफ की स्वीकार्य पद्धति अपनायी गयी थी जिसकी कई सीमाएं थी जैसा कि इसमें वर्षा की तीव्रता और जलग्रहण क्षेत्र के आकार को शामिल नहीं किया जाता। लघु सिंचाई परियोजनाओं में पानी की आवक की गणना निकटतम वर्षामापी स्टेशनों के वर्षा आंकडों पर आधारित थी। चूंकि ये स्टेशन पर्याप्त रुप से जलग्रहण क्षेत्र में स्थित नहीं थे, अत: इन वर्षामापी स्टेशनों के आंकड़े जलग्रहण क्षेत्र के आंकड़ो को पूर्णत: प्रतिबिम्बित नहीं करते हैं। जैसाकि वर्षा निरन्तर न होकर रुक-रुक कर होती है अत: वर्षा का पानी रन ऑफ में परिवर्तित नहीं होता है।

बरलूट लघु सिंचाई परियोजना (सिरोही) के सम्बन्ध में कहा कि बाँध में पानी की आवक पर्याप्त वर्षा पर निर्भर है। ताई का खेड़ा (झालावाड़) के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कहा (नवम्बर 2012) कि वर्षा कम तीव्रता के साथ अल्प थी, इसलिए बाँध आठ बार के बजाय एक बार ही भरा गया जो 46.67 प्रतिशत के स्थान पर 12.5 प्रतिशत आश्रितता दर्शाता है।

अन्य खण्डों ने कहा (मार्च-मई 2012) कि बाँधो में पानी की आवक, वर्षा की तीव्रता पर निर्भर करती है।

सरकार का उत्तर प्रतिबिम्बित करता है कि लघु सिंचाई परियोजनाओं की संस्वीकृति से पहले परियोजना की व्यवहार्यता निश्चित नहीं की गयी, हाइड्रोलोजी सही नहीं थी, दूर स्थित वर्षामापी स्टेशन से लिये गये वर्षा के आंकड़े वास्तविक नहीं थे तथा स्ट्रेन्ज तालिका के आधार पर रन ऑफ की गणना सही नहीं थी। इसलिए बाँधो के निर्माण पर किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

- दीवानचली लघु सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय (प्र. एवं वि.) स्वीकृति राशि ₹ 3.80 करोड़ राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी थी (मई 2007)। बाँध की भण्डारण क्षमता 34.75 एमसीएफटी (स्थायी भंडारण 2.50 एमसीएफटी तथा सक्रिय भंडारण 32.25 एमसीएफटी) और जलग्रहण क्षेत्र अच्छा तथा मुक्त था। परियोजना द्वारा 205 है. सिंचाई उपलब्ध कराना प्रस्तावित था। औसत वार्षिक वर्षा 640.40 मिमी. बामनवास वर्षामापी स्टेशन पर ली गयी थी।

बाँध के निर्माण का कार्यादेश 30 अप्रैल 2008 को राशि ₹ 3.66 करोड़ का संवेदक को जारी किया गया था तथा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 8 नवम्बर 2009 थी। संवेदक ने ₹ 3.84 करोड़ का व्यय करने के बाद कार्य पूर्ण किया (अक्टूबर 2009)।

अभिलेखों की जॉच से विदित हुआ कि जलग्रहण क्षेत्र की श्रेणी तथा अभिनिर्धारित रन ऑफ के अनुसार, वर्ष 2010 तथा 2011 के दौरान हुई वर्षा क्रमशः 1,031 मिमी तथा 882 मिमी पर क्रमशः 69.932 एमसीएफटी तथा 50.42 एमसीएफटी पानी प्राप्त किया जाना था लेकिन इन वर्षो में बिल्कुल पानी प्राप्त नहीं हुआ जो यह दर्शाता है कि बाँध की हाइड्रोलोजी सही नहीं थी तथा परियोजना का निर्माण शुरु करने से पहले उचित सर्वेक्षण और अन्वेषण नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरुप बाँध के निर्माण कार्य पर किया गया ₹ 3.84 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसके अलावा, मु.अ. के निर्देशानुसार बाँध निर्माण और नहर कार्यो को साथ-साथ शुरु नहीं किया गया। बाँध निर्माण कार्य अक्टूबर 2009 में पूर्ण हो गया था लेकिन भूमि की अनुपलब्धता के कारण आज तक नहर कार्य शुरु नहीं किया जा सका (दिसम्बर 2012)।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि वर्षा की कमी के कारण बाँध में पानी संग्रहित नहीं हो सका तथा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी के कारण नहर कार्य शुरु नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परियोजना का निर्माण शुरू करने से पहले उचित सर्वेक्षण और अन्वेषण नही करने तथा हाईड्रोलोजी सही नही होने के कारण वर्ष 2010 तथा 2011 में पानी बिल्कुल संग्रहित नहीं हुआ। वर्ष 2012 में इसकी भण्डारण क्षमता 34.75 एमसीएफटी के विरुद्ध केवल 11.83 एमसीएफटी पानी ही संग्रहित हुआ, जिससे बाँध के निर्माण पर किया गया ₹ 3.84 करोड़ का व्यय निष्फल रहा तथा क्षेत्र के कृपक भी सिंचाई सुविधाओं के लाभों से वंचित रहे।

गलत बी.सी.आर. की गणना द्वारा अव्यवहार्य परियोजना की स्वीकृति।

2.1.6.3 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मानकों (जनवरी 1970) के अनुसार लघु सिंचाई परियोजना जिसका न्यूनतम लाभ-लागत अनुपात (बी.सी.आर.) 1.5:1 हो, मुख्य अभियंता द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत की जा सकती थी।

उन क्षेत्रों में, जहाँ कोई सिंचाई कार्य पिछली तीन योजनाओं के दौरान शुरु नहीं किया गया तथा कमी और पिछड़े या पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ परियोजनाओं, जिनका बी.सी.आर. 1:1 अथवा इससे अधिक है लेकिन 1.5:1 से कम है, प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसी परियोजना के मामलों में, जहाँ बी.सी.आर. 1:1 से कम है, मंत्रिमण्डल के अनुमोदन से स्वीकृत की जा सकती है। सिंचाई मैनुअल के अनुसार, बी.सी.आर. की गणना अनुमानित वार्षिक लागत से अनुमानित वार्षिक शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है।

निम्नलिखित खण्डो के अभिलेखों की जाँच से विदित हुआ कि राज्य सरकार ने अव्यवहार्य परियोजनाओं को परियोजना की कुल लागत में से ब्याज राशि, मूल्यह्रास, मूल्यवृद्धि और अंश लागत, जो कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (जन.स्वा.

अभि.वि.) द्वारा वहन करनी थी, को अलग करते हुए बी.सी.आर. को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर लाकर परियोजना को व्यवहार्य के रुप में दिखाते हुए स्वीकृत किया। भीखा भाई सागवाड़ा नहर (बीबीएससी) के मामले में मंत्रिमण्डल की पूर्व अनुमति प्राप्त नही की गयी थी।

तालिका 1: विभाग तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गई बी सी आर की गणना का विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	परियोजना का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	विभाग द्वारा की गई बी. सी.आर. की गणना	परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए परियोजना लागत में मद शामिल नहीं की गयी	स्तम्भ '6' में दी गई राशि को शामिल करने के पश्चात् बी.सी. आर.यह होगा
1	अ.अ., बी एण्ड आर सी खण्ड माही परियोजना बांसवाड़ा	बी बी एस सी आरडी 8 से 20.11 किमी	27 दिसम्बर 2004	1.11:1	ब्याज तथा मूल्यहास ₹ 2.70 करोड़ तथा ₹ 27 लाख के स्थान पर क्रमश: ₹ 2.40 करोड़ तथा ₹ 23.94 लाख लिया गया	0.99:1
2	अ.अ.जसंवि खण्ड, कोटा	तकली सिंचाई एवं जल प्रदाय परियोजना	जुलाई 2006 संशोधित जुलाई 2011	1.51:1	शेयर लागत ₹ 12.60 करोड़ जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा वहन किया जाएगा	1.16:1

राज्य सरकार ने बीबीएससी परियोजना के सम्बन्ध में कहा (दिसम्बर 2012) कि केन्द्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) द्वारा अपनाये गये स्वीकृत मानक व्यवहार के अनुसार बी.सी.आर. की गणना की गयी थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बी.सी.आर. की गणना के लिए खण्ड द्वारा उन कारणों को नहीं बताया गया जिनके रहते बी.सी.आर. की गणना में कम राशि को शामिल किया गया।

राज्य सरकार ने तकली लघु सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में कहा (दिसम्बर 2012) कि बी.सी.आर. की गणना के लिए परियोजना लागत की गणना न्यायोचित थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा वहन की गयी अंश लागत, परियोजना लागत का भाग थी तद्नुसार ही बी.सी.आर. की गणना की जानी थी।

नहर के बिना बाँध के निर्माण के परिणामस्वरुप निष्फल व्यय।

2.1.6.4 बाँध निर्माण और नहर कार्यो को साथ-साथ शुरु किया जाना चाहिए था, ताकि बाँध में संग्रहित जल का सिंचाई हेतु तुरंत उपयोग किया जा सके। अ.अ. खण्ड दौसा के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि सूरजपुरा लघु सिंचाई परियोजना के लिए 221 है. सीसीए सृजन करने के लिए 36.08 एमसीएफटी पानी के भण्डारण के लिए बाँध तथा नहर के निर्माण के लिए ₹ 1.73 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी (अप्रैल 2005)। बाँध के निर्माण का कार्यादेश संवेदक 'अ' को राशि ₹ 48.62 लाख में निर्धारित कार्य पूर्णता तिथि 7 फरवरी 2007 के साथ दिया गया था (29 मार्च 2006)। संवेदक ने मात्र ₹ 17.47 लाख का कार्य निष्पादित किया और फिर कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया। शेष कार्य 28 दिसम्बर 2007 को दूसरे संवेदक 'ब' को ₹ 38.53 लाख में दिया गया। संवेदक द्वारा ₹ 29.27 लाख का व्यय करने के उपरांत जून 2009 में कार्य पूर्ण कर दिया। इसके अलावा, नहर का कार्य संवेदक 'स' को ₹ 15.09 लाख में 1 मार्च 2008 को दिया गया परन्तु संवेदक ने ₹ 3.53 लाख का कार्य निष्पादित करने के पश्चात् भूमि का मुआवजा भुगतान नहीं करने के कारण किसानों के विरोध के कारण कार्य अपूर्ण छोड़ दिया। इस प्रकार, नहर कार्य पूर्ण न होने के कारण, बाँध में संग्रहित किये गये पानी का उपयोग नही किया जा सका और परियोजना पर किया गया व्यय ₹ 53.83 लाख निष्फल रहा।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2012) कि भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

- राज्य सरकार ने ₹ 14.68 करोड़ की लागत की खोह लघु सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की (दिसम्बर 2007) कि परियोजना का निर्माण शुरु करने से पहले परियोजना की हाइड्रोलोजी और डिजायन को अन्वेषण, ड्राइंग एवं रिसर्च (अ.ड्रा.एवं रि.), जयपुर से अनुमोदित करवा लिया जायेगा, पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जावेगी और वन विभाग से स्वीकृति ले ली जायेगी। परियोजना को 30 वर्षो के वर्षा आंकड़ो के आधार पर निकाली गई हाइड्रोलोजी द्वारा स्वीकृत किया गया था। मिट्टी के बाँध, स्लूस और बाईवाश के निर्माण का ₹ 6.28 करोड़ का कार्य संवेदक को 22 अगस्त 2008 को निर्धारित कार्य पूर्णता तिथि 8 सितम्बर 2010 तय करते हुए दिया गया। कार्य प्रगतिरत था और मार्च 2012 तक राशि ₹ 6.02 करोड़ का व्यय उपगत किया गया था।

जल संसाधन विभाग के मंत्री की अध्यक्षता मे 28 जुलाई 2010 को हुई बैठक मे यह निर्णय लिया गया कि दस वर्षो के वर्षा आँकड़ो के आधार पर सभी परियोजनाओं की हाइड्रोलोजी की समीक्षा की जावें। इस मामले में, संशोधित हाइड्रोलोजी अभी तक अन्वेषण, ड्राइंग एवं रिसर्च शाखा से अनुमोदित नहीं कराई गई

(मार्च 2012) जिससे परियोजना की पूर्णता में देरी हुई। इसके अलावा, काश्तकारों द्वारा भूमि विवाद उत्पन्न कर दिये जाने (मार्च 2012) के कारण नहर कार्य को भी नहीं कराया जा सका। बाँध और नहर पूर्ण नहीं करने के कारण, 785 है. मे सिंचाई क्षमता की सुविधा प्राप्त नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि नहरों के संरेखण को अंतिम रुप दिया गया है और शीघ्र ही यह सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवा लिया जायेगा तथा क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा भूमि के बदले भूमि की माँग करना ही देरी का मुख्य कारण था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अन्वेषण, ड्राइंग एवं रिसर्च शाखा से संशोधित हाइड्रोलोजी के अनुमोदन में देरी होने और भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करने के कारण बाँध और नहर का निर्माण पूर्ण नही किया जा सका।

राज्य सरकार का यू.आ. की अनुदान राशि ₹ 308 करोड़ से वंचित रहना।

2.1.6.5 राज्य भागीदारी कार्यक्रम (रा.भा.का.) एक बहु क्षेत्रीय नीति समर्थित कार्यक्रम था जिसको यूरोपियन आयोग (यू.आ.) द्वारा वित्त पोषित किया गया था। राज्य जल नीति के अनुसार कार्यक्रम 2006 में लागू किया गया था। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये 14 अगस्त 2006 को राजस्थान सरकार तथा यूरोपियन आयोग के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया और ₹ 450 करोड़ (80 मिलियन यूरो) यूरोपियन आयोग द्वारा स्वीकृत किये गये थे जिसे 2006-07 से 2011-12 के छः वर्षो के दौरान पेयजल, सिंचाई, भू-जल, वाटरशेड़ और मृदा संरक्षण के लिए उपयोग किया जाना था। राज्य भागीदारी कार्यक्रम को राज्य सरकार के साथ क्षेत्रीय बजट समर्थित व्यवस्था के माध्यम से राज्य के वार्षिक बजट से ट्रांन्च रिलिज जोड़ते हुए निष्पादित करना था। यूरोपियन आयोग की निधि का प्रवाह सहमत ट्रांच रिलिज क्राइटेरिया एण्ड माईलस्टोन के आधार पर होना था। यूरोपियन आयोग की निधि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को हस्तान्तरित होनी थी जो कि बाद मे राज्य कोषालय को अनुदान के रूप में हस्तान्तरित होनी थी। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग को राज्य भागीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत यूरोपियन आयोग के धन के लिए मुख्य बजट में पृथक बजट लाइन का निर्माण करना था।

राज्य भागीदारी कार्यक्रम, राज्य स्तर पर एक अन्तर क्षेत्रीय समन्वय समिति (अ.क्षे.स.स) से समर्थित मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग (रा.ज.सं.आ.वि) द्वारा तथा जिला और उससे नीचे के स्तर पर विद्यमान पंचायती राज संस्थाओं (प.रा.स.) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना था। नीतिगत मार्गदर्शन और समन्वय की जिम्मेदारी के लिए एक विस्तृत आधार वाली राज्य भागीदारी कार्यक्रम संचालन समिति (का.सं.स) का गठन किया जाना था। कार्यक्रम संचालन समिति द्वारा, समग्र प्रगति और कार्य परिणामों के आधार पर प्रदर्शन, ट्रांच रिलीज माइलस्टोन और संयुक्त समीक्षा मिशन की उपलब्धियों का वर्ष मे न्यूनतम दो बार समीक्षा करनी थी। कार्यक्रम संचालन

समिति और यूरोपियन आयोग संयुक्त रुप से अर्द्धवार्षिक और वार्षिक समीक्षा बैठक प्रतिवर्ष आयोजित करेंगे।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि ₹ 450 करोड़ मे से ₹ 142.23 करोड़ का अनुदान वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान जारी किया गया था, जो कि सिर्फ 32 प्रतिशत था तथा शेष अनुदान ₹ 307.77 करोड़, ट्रांच रिलीज क्राईटेरिया की पूर्ति नही करने व माईलस्टोन की प्राप्ति के अभाव मे जारी नही किया गया। इसके अलावा यह पाया गया कि 2011-12 तक ₹ 142.23 करोड़ के आबंटित अनुदान के विरूद्ध ₹ 96.24 करोड़ (68 प्रतिशत) का ही संबंधित विभागों[6] द्वारा विभिन्न गतिविधियों अर्थात् पेयजल, सिंचाई, भू-जल, वाटरशेड़ और मृदा संरक्षण में उपयोग किया गया। जल संसाधन विभाग ने राशि ₹ 29.47 करोड़ का उपयोग, सभी दीर्घ, मध्यम और लघु सिचाई परियोजनाओं की बैंचमार्किंग पर, गेज के स्थापन/मरम्मत, जल संसाधन केन्द्र के बेसिन लेवल को अपडेट करने, गैर सरकारी संगठनो के माध्यम से जल संसाधन के बारे में सलाह करने इत्यादि पर किया। वर्षवार प्राप्त व उपयोग राशि का विवरण निम्न तालिका 2 मे दिया गया है।

तालिका 2: प्राप्त और उपयोग किये अनुदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क0स0	वर्ष	किस्त (ट्रांच)	प्राप्त होने योग्य राशि	प्राप्त राशि	उपयोग/व्यय
1.	2006-07	प्रथम स्थायी	73.12	29.28	8.35
2.	2007-08	द्वितीय स्थायी		34.48	14.34
3.	2008-09	-	84.38	-	21.99
4.	2009-10	द्वितीय परिवर्तनीय	112.50	13.76	1.90
5.	2010-11	तृतीय स्थायी	101.25	47.93	13.71
6.	2010-11	तृतीय परिवर्तनीय		16.78	-
7.	2011-12	-	42.19	-	35.95
8.	टी0ए0, समीक्षा, मूल्यांकन, लेखापरीक्षा		36.56	-	-
योग			**450.00**	**142.23**	**96.24**

स्त्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार ।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2012) कि मात्र ₹ 142.23 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ, शेष अनुदान तृतीय परिवर्तनीय के आंशिक रूप में पूरा करने तथा चतुर्थ स्थायी ट्रांच अर्थात जल नियामक प्राधिकरण (ज.नि.प्रा.) के गठन और मिड टर्म एक्सपैन्डिचर फ्रेमवर्क (मि.ट.ए.फ्रे.) के माईलस्टोन की प्राप्ति के अभाव में प्राप्त नहीं हो सका।

6. ज.स्वा.अ.वि., भू.ज.वि., ज.सं.वि., वाटरशेड़ और मृदा संरक्षण और पंचायती राज संस्थान

जल नियामक प्राधिकरण के गठन और मिड टर्म एक्सपैन्डिचर फ्रेमवर्क के सबंध में मामला राजस्थान सरकार के पास विचाराधीन था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने यूरोपियन आयोग द्वारा लागू की गई शर्तों की पूर्ति के लिए पर्याप्त तथा समय पर कार्यवाही नहीं की जिससे राज्य सरकार अनुदान के लाभों से वंचित रही।

2.1.7 निष्पादन

प्र. एवं वि. स्वीकृति के बिना कार्य का निष्पादन।

2.1.7.1 लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 285(ब) प्रशासनिक एवं वित्तीय (प्र.एवं वि.) स्वीकृति के बिना कार्यो के निष्पादन पर प्रतिबन्ध लगाता है। अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, सूरतगढ के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना बाड़ोपाल, जाखरनवाली और भेरुसारी के जल भराव क्षेत्र की रीच आरडी 0 से 25, आरडी 38 से 57 और आरडी 78 से 91 से पानी निकालने के लिए मुख्य नाली की गहरी खुदाई का मिट्टी का कार्य कराने हेतु ₹ 1.10 करोड़ की अनुमानित लागत की निविदा 29 जुलाई 2008 को आंमत्रित की गई। कार्य के लिए ₹ 1.76 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (उत्तर) हनुमानगढ़ द्वारा 18 अगस्त 2008 को जारी की और राशि ₹ 1.41 करोड़ का कार्य आदेश, कार्यपूर्णता तिथि 22 अप्रेल 2009 के साथ 13 अक्टूबर 2008 को, संवेदक को जारी किया गया। ₹ 1.42 करोड़ का व्यय करने के उपरांत कार्य पूर्ण हो गया (अक्टूबर 2009)। यद्यपि, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अभी तक (जुलाई 2012) प्राप्त नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि बाड़ोपाल, जाखरनवाली और भेरुसारी के जल भराव क्षेत्र से पानी निकालने के लिए नाली के निर्माण का कार्य फरवरी 2008 में स्वीकृत हुआ था। उक्त कार्य में बचत थी इसलिए इस राशि को मुख्य नाली की गहरी खुदाई के काम मे उपयोग किया गया और अन्य मदों की राशि को शामिल करते हुए जो इस योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जानी थी, के लिऐ ₹ 8.70 करोड़ की संशोधित स्वीकृति, अनुमोदन हेतु मार्च 2009 में राज्य सरकार को भेजी गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि गहरी खुदाई का कार्य, जल भराव क्षेत्र से पानी निकालने के कार्य से भिन्न था जिसके लिए नई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जानी थी।

लो.नि.वि एवं ले.नि. के प्रावधानों के विरुद्ध निर्माण कार्यो/निविदाओं को टुकड़ों में करना।

2.1.7.2 लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 291 में परिकल्पना की गई है कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपनी स्वयं की सक्षमता मे निविदा रखने के उद्देश्य से कार्यो/निविदाओं को टुकड़ों में विभाजित करना अनियमितता हैं। इसके अलावा नियम 292 में परिकल्पित है कि किसी ऐसी परियोजना के लिए, जिसमें निर्माण कार्यो का ऐसा कोई ग्रुप सम्मिलित हो, उच्चतर अधिकारी के अनुमोदन या स्वीकृति से इस

तथ्य के कारण बचा नहीं जा सकता कि परियोजना में प्रत्येक विशिष्ट निर्माण कार्य की लागत विशिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन या स्वीकृति की शक्तियों के भीतर हैं।

बी एण्ड आर.सी. खण्ड, माही परियोजना, बाँसवाड़ा के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि राज्य सरकार ने ₹ 26.16 करोड़ और ₹ 30.94 करोड़ की स्वीकृति, लघु सिंचाई परियोजना (ल.सि.प.) I एवं II के लिए क्रमशः 27 दिसम्बर 2004 और 26 अप्रेल 2005 को प्रदान की। निविदाओं को मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता की सक्षमता में रखने के लिए लघु सिंचाई परियोजना- I और लघु सिंचाई परियोजना-II की स्वीकृति को पृथक-पृथक कार्यो में बाँटा गया और सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना वर्ष 2005-06 से 2010-11 के वर्षो के दौरान विभिन्न संवेदकों को कार्यादेश जारी किये गये।

अधिशाषी अभियंता, बी एण्ड आर.सी. खण्ड बाँसवाड़ा ने कहा (मई 2012) कि लघु सिचाई परियोजना-I में पृथक कार्यो के लिए पृथक-पृथक अनुमान/सार तैयार किये गये थे इसलिए पृथक अनुमान/सार के लिए एक ही निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकती थी। अधिशाषी अभियंता, भीखा भाई सागवाड़ा नहर, सागवाड़ा ने कहा (मई 2012) कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रतिवर्ष निर्माण कार्यक्रम मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत किया जाता है और कार्य उसी प्रकार सम्पादित किये जाते हैं इसलिए यह तथ्य मुख्य अभियंता की जानकारी में था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दोनों ही मामलों में लघु सिंचाई परियोजना-I और लघु सिंचाई परियोजना-II के लिए एक साथ अनुमान तैयार न करने और स्वीकृति को अलग-अलग कार्यो के टुकडों में बांटने की कार्यवाही उपरोक्त नियमों के विरुद्ध थी

निविदा स्वीकृति में विलम्ब से निधियों का अवरोधन ₹ 79.44 लाख।

2.1.7.3 संवेदक के साथ निष्पादित किये गये अनुबन्ध के परिशिष्ट XI के अनुसार, वित्तीय बिड खोलने की तिथि से, टैण्डर स्वीकृत करने की निर्धारित समयावधि, विभिन्न स्तर के अधिकारियों यथा 20 दिन (अधिशाषी अभियंता), 30 दिन (अधीक्षण अभियंता), 40 दिन (अतिरिक्त मुख्य अभियंता), 50 दिन (मुख्य अभियंता), 60 दिन (प्रशासनिक विभाग), 70 दिन (वित्त समिति/बोर्ड/एम्पावर्ड समिति/एम्पावर्ड बोर्ड) निर्धारित थी।

वानका टैंक के अधिशेष पानी को राजसमन्द जिले के अगरिया टैंक मे डालने के लिए अगरिया फीडर के निर्माण का कार्यादेश संवेदक 'अ' को ₹ 1.12 करोड में दिनांक 28 सितम्बर 2007 को दिया गया था। कार्य प्रारम्भ व पूर्ण करने की निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 8 अक्टूबर 2007 व 7 जून 2008 थी। संवेदक द्वारा निर्धारित कार्य पूर्णता तिथि तक ₹ 79.44 लाख के कार्य का निष्पादन किया। तत्पश्चात् कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया जिसके लिए संवेदक के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 व 3(सी) की कार्यवाही अधिशाषी अभियंता द्वारा की गई (जून 2009), इसके पश्चात्, शेष कार्य के

लिए नये सिरे से निविदाऐं आमंत्रित की गई और ₹ 51.90 लाख का कार्यादेश संवेदक 'ब' को जारी किया गया (मई 2010), परन्तु संवेदक द्वारा न तो अनुबन्ध निष्पादित किया और न ही निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ किया जिसके लिए उसके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि ₹ 4.28 लाख जब्त कर ली गयी। पुनः नई निविदा 28 जून 2010 को आमंत्रित की परन्तु परस्पर सहमति से निविदा वैद्यता तिथि 31 दिसम्बर 2010 तक बढ़ाये जाने के बावजूद विभाग संवेदक 'स' की न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के संबंध में कोई निर्णय नही कर सका, तत्पश्चात् संवेदक द्वारा विभाग की आवश्यकतानुसार 28 फरवरी 2011 तक वैद्यता तिथि बढाये जाने से मना कर दिया गया। निविदा 18 मार्च 2011, 11 मई 2011, 22 जुलाई 2011 तथा 14 सितम्बर 2011 को पुनः आमंत्रित की गई परन्तु कोई जबाब नही मिला।

संवेदक 'सी' की निविदा को निर्धारित/बढायी गई अवधि मे स्वीकार करने के सम्बन्ध में प्राधिकारियों के अनिर्णय के कारण, फीडर का शेष कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ है और 7 जून 2008 तक ₹ 79.44 लाख की राशि आज तक (मार्च 2012) अवरुद्ध पड़ी हुई हैं।

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजसमन्द ने कहा (मार्च 2012) कि उच्चाधिकारियों की स्वीकृति हेतु निविदा प्रस्तुत की गई थी परन्तु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

कार्य निष्पादन में देरी के परिणामस्वरुप सिंचाई लाभों से वंचित रहना।

2.1.7.4 उपसचिव और मुख्य अभियन्ता सिंचाई, राजस्थान जयपुर के तकनीकी सहायक द्वारा पृथ्वीपुरा लघु सिंचाई परियोजना के मुख्य बाँध और नहर के निर्माण की ₹ 1.47 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 19 नवम्बर 2005 को प्रदान की। ₹ 1.04 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति अधिशाषी अभियंता और अधीक्षण अभियंता, सिंचाई वृत्त झालावाड के तकनीकी सहायक (त.स.) द्वारा 19 जून 2006 को प्रदान की गई थी। प्रस्तावित और वास्तविक सिंचित क्षेत्र 110 है. था।

बाँध निर्माण कार्य का ₹ 1.11 करोड़ का कार्यादेश संवेदक 'अ' को 23 जून 2006 को दिया गया था जिसमें कार्य प्रारम्भ व पूर्ण करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 3 जुलाई 2006 और 2 जुलाई 2007 थी। निर्धारित कार्यपूर्णता तिथि तक, संवेदक द्वारा केवल ₹ 46.83 लाख का ही कार्य किया गया। शेष कार्य संवेदक द्वारा सम्पादित न करने के कारण, संवेदक को अंतिम नोटिस 3 अक्टूबर 2008 को जारी किया गया और अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त झालावाड द्वारा संवेदक के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 व 3(सी) के तहत कार्यवाही 3 जून 2010 को (कार्य पूर्णता तिथि के 35 माह से अधिक व्यतीत होने के बाद) की। शेष कार्य के लिए ₹ 74.41 लाख का कार्यादेश संवेदक 'ब' को दिनांक 29 अक्टूबर 2010 को दिया गया और संवेदक द्वारा ₹ 19.62 लाख का कार्य सम्पादित कर दिया गया। इस

संवेदक द्वारा भी कार्य अपूर्ण छोड़ दिया गया। अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन झालावाड द्वारा धारा 2 व 3(सी) की कार्यवाही 30 अगस्त 2011 को की। इसके बाद नई निविदा आमंत्रित की गई (21 सितम्बर 2011) और शेष कार्य के लिए ₹ 73.16 लाख का कार्यादेश संवेदक 'सी' को जारी किया गया और संवेदक द्वारा दिनांक 20 अप्रेल 2012 को ₹ 34.11 लाख व्यय कर कार्य पूर्ण कर दिया गया।

इस प्रकार, अनुबन्ध की धारा 2 और 3(सी) के तहत संवेदक के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही में देरी के कारण चार वर्ष छः माह से ज्यादा अवधि तक कार्य विलम्बित रहा।

राज्य सरकार ने कहा (नवम्बर 2012) कि पूर्व संवेदको द्वारा कार्य का निष्पादन नही करने के कारण चार वर्ष छः माह से अधिक विलम्ब हुआ, जो विभाग के नियंत्रण से बाहर था। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि क्षतिपूर्ति का आरोपण और जोखिम व लागत की संवेदक से वसूली में विलम्ब विभाग की अनुश्रवण की कमी व शिथिलता को दर्शाता हैं।

क्षतिपूर्ति के आरोपण/वसूली का अभाव।

2.1.7.5 संवेदक के साथ निष्पादित किये गये अनुबन्ध की धारा 2 और 3(सी) के तहत, कार्य की आनुपातिक प्रगति बनाये न रख पाने पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए और शेष कार्य को अन्य संवेदक से पूरा कराने पर आयी अतिरिक्त लागत को वहन करने के लिए, संवेदक उत्तरदायी था।

पाँच खण्डों[7] के अभिलेखों की जाँच करने पर विदित हुआ कि छः मामलों में ***(परिशिष्ट 2.4),*** क्षतिपूर्ति राशि ₹ 12.04 करोड़ आनुपातिक प्रगति बनाये न रखने के लिए संवेदकों पर आरोपित नहीं/कम की गई और अनुबन्ध के उप-नियम 3(सी) के तहत शेष कार्य को अन्य संवेदक से पूरा कराने पर आयी अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं की गई।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि मादड़ी बाँध के मामले में पब्लिक डिमांड रिकवरी (पी.डी.आर.) अधिनियम के तहत वसूली की कार्यवाही की जा रही है अकोदरा बाँध के मामले मे 6 जून 2012 तक की समय वृद्धि बिना क्षतिपूर्ति के स्वीकृत कर दी गई है। दूसरी ओर सरकार ने अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के तहत संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की हैं। विभाग के द्वारा विरोधाभासी बयान देने के कारण उत्तर स्वीकार्य नहीं था। पोटोलिया, उसरोल, राजपुरिया लघु सिंचाई परियोजना और लोडीसर बाँध के मामले में राज्य सरकार ने कहा कि राशि की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। एच.डी.पी.ई. पाईपलाइन की वितरण प्रणाली में आपूर्ति,

7. अ.अ., ज.सं.वि. खण्ड चित्तौडगढ़, दौसा, डूँगरपुर, न.के.प. खण्ड-I सांचौर और उदयपुर

बिछाने, दराजबंदी और प्रारम्भ करने के संबंध में सरकार ने कहा कि आरोपित किये गये ₹ 1.11 करोड़ में से ₹ 81.38 लाख की कटौती की जा चुकी हैं।

देरी को विभाग के स्तर पर मान लेने से संवेदक को अदेय लाभ राशि ₹ 2.75 करोड़।

- राज्य सरकार ने ₹ 80.12 करोड़ की गागरीन लघु सिचाई परियोजना स्वीकृत की (जुलाई 2006)। संवेदक को मिट्टी के बाँध, स्पिलवे ओवरफ्लो और नान-ओवरफ्लो के निर्माण के लिए ₹ 31.60 करोड़ का कार्य दिनांक 25 सितम्बर 2007 को दिया गया। कार्य प्रारम्भ व पूर्ण करने की निर्धारित तिथियाँ, वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए क्रमश: 5 अक्टूबर 2007 और 4 अक्टूबर 2011 निर्धारित थी। अवरोध पंजिका के अनुसार कार्य, निर्धारित पूर्णता तिथि तक 485 दिनों तक बाधित रहा जिसमें से 470 दिनों की देरी संवेदक के भाग पर व 15 दिनों की देरी विभाग के भाग पर थी। इस अवधि मे कार्य की आनुपातिक प्रगति बनाये न रखने के लिए अनुबन्ध की धारा 2 के तहत संवेदक पर ₹ 2.75 करोड़ की क्षतिपूर्ति का आरोपण किया गया। संवेदक द्वारा निर्धारित कार्य पूर्णता तिथि तक मात्र ₹ 14.02 करोड़ (44 प्रतिशत) का कार्य पूर्ण किया था जिसके लिए विभाग द्वारा ₹ 35.92 लाख की क्षतिपूर्ति की कटौती संवेदक के रनिंग बिलों से की गई (32 वे रनिंग बिल तक)। मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, कोटा ने विलम्ब, विभागीय स्तर पर डालते हुए दिनांक 31 मई 2013 तक समयावृद्धि प्रस्तावित की और उप सचिव व मुख्य अभियन्ता के तकनीकी सहायक ने 31 जनवरी 2013 तक की समयावृद्धि स्वीकृत की और संवेदक के बिलों से दिनांक 28 मार्च 2012 को पूर्व में कटौती की गई क्षतिपूर्ति राशि ₹ 35.92 लाख को लौटा दिया। यद्यपि, अवरोध पंजिका के अनुसार देरी संवेदक के स्तर पर थी और मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग द्वारा धारा 2 व 3 के नोटिस जारी करने के बावजूद, समयावृद्धि बिना क्षतिपूर्ति के स्वीकृत की, परिणामस्वरुप राज्य सरकार को ₹ 2.75 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ व संवेदक को अदेय लाभ हुआ।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि अवरोध पंजिका के अनुसार, संवेदक के स्तर का विलम्ब काश्तकारों द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण था। वे पुर्नवास, मुआवजा व स्पिलवे के नींव स्तर के ड्राइंग व डिजाईन में अप्रत्याशित परिवर्तन की माँग कर रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि अवरोध पंजिका स्पष्ट संकेत देती है कि देरी संवेदक के स्तर पर मुख्य रुप से मशीन की अनुपलब्धता, डीजल, मशीन खराब होने और वर्षा ऋतु के कारण थी। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा बताये आधार पर क्षतिपूर्ति में छूट का कोई प्रावधान नहीं था।

2.1.7.6 राज्य सरकार द्वारा ₹ 44.73 करोड़ की ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई (मई 2007) और संशोधित स्वीकृति 21 दिसम्बर 2010 को ₹ 106.95 करोड़ की जारी की गई। तकनीकी अनुमान, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, कोटा द्वारा ₹ 20.57 करोड़ के 15 अक्टूबर 2007 को अनुमोदित किये गये जिसे 21 सितम्बर 2011 को संशोधित कर ₹ 47.64 करोड़ कर दिया गया। अन्वेषण, ड्राइंग एवं रिसर्च शाखा से भू वैज्ञानिक जाँच और स्पिलवे का ड्राईंग व डिजाईन अनुमोदित होने के उपरान्त, परियोजना तकनीकी रुप से अनुमोदित हुई और परियोजना का कार्यादेश ₹ 24.14 करोड़ में 19 जनवरी 2008 को जारी किया गया जिसमें कार्य पूर्णता तिथि 28 जनवरी 2011 थी। खुदाई के दौरान, कठोर चट्टान नहीं मिली और स्पिलवे के संशोधित ड्राईंग व डिजाईन तैयार करने का मामला केन्द्रीय जल आयोग (के0ज0आ0) को 9 मई 2008 को भेजा गया था। केन्द्रीय जल आयोग से स्पिलवे की ड्राईंग व डिजायन बैचेज में प्राप्त होने के कारण, कार्य 8 जून 2009 से 23 दिसम्बर 2010 तक और 10 जनवरी 2011 से 10 जून 2011 तक बाधित रहा जिससे कार्य पूर्ण होने में 716 दिनों की देरी हुई। मुख्य अभियंता, जल संसाधन कोटा ने 9 जुलाई 2015 तक बिना क्षतिपूर्ति के समयावृद्धि की सिफारिश राज्य सरकार को की (21 सितम्बर 2011)। कार्य पूर्णता मे देरी के परिणामस्वरुप ₹ 75.46 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ और लाभार्थियों को लाभों से वंचित रहना पड़ा।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि ड्राईंग और डिजाईन के अनुमोदन से पहले प्रभावी भू-वैज्ञानिक जाँच कर ली गई थी। भू-वैज्ञानिक जाँच हमेशा छोटे क्षेत्र मे की जाती है जो कि बडे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मानी जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्माण कार्य से पूर्व विस्तृत सर्वेक्षण और मृदा जाँच नहीं की गई थी।

2.1.8 सिचाई सम्भाव्यता

विभिन्न दीर्घ (इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोडकर), मध्यम और लघु सिचाई परियोजनाओ का निर्माण कर समीक्षा अवधि 2009-12 के दौरान 1.18 लाख है. लक्ष्य के विरुद्ध 1.06 लाख है. मे सिंचाई सम्भाव्यता का सृजन निम्न तालिका 3 मे दिये विवरणानुसार किया गया।

तालिका 3: वर्ष 2009-12 के दौरान सिंचाई सम्भाव्यता सृजन के लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण

(हैक्टर में)

वर्ष	दीर्घ		मध्यम		लघु		योग	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2009-10	42,000	42,000	4,000	4,010	1,500	2,994	47,500	49,004
2010-11	30,000	30,000	0	510	3,000	5,396	33,000	35,906
2011-12	30,000	11,000	3,000	2,283	4,647	7,506	37,647	20,789
योग	**1,02,000**	**83,000**	**7,000**	**6,803**	**9,147**	**15,896**	**1,18,147**	**1,05,699**

स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

मु.अ. कार्यालय द्वारा सिचाई सम्भाव्यता के उपयोग सबंधी सूचनाए तैयार नहीं की गई थी।

2.1.9 अनुश्रवण

मुख्य अभियंता, राजस्थान, जयपुर को अधीक्षण अभियंता और संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) की सहायता से दीर्घ, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं की निर्माण गतिविधियों को शामिल करते हुए, विभाग की सभी गतिविधियों पर अनुश्रवण रखे जाने की आवश्यकता है।

2.1.9.1 प्रशासनिक निरीक्षण

जल संसाधन नियमावली का अनुच्छेद 3.4.9 और 3.5.5 कहता है कि अधीक्षण अभियंता और अधिशाषी अभियंता सभी महत्वपूर्ण और प्रमुख निर्माण कार्यो का निरीक्षण करेंगे। प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग ने कार्यो का निरीक्षण करने और रात्रि में मुख्यालय से बाहर ठहराव के संबध मे निम्न तालिका 4 में दिये गये विवरणानुसार मानदण्ड[8] तय करते हुए परिपत्र जारी किया (मई 2009)।

तालिका 4: अप्रेल 2011 से दिसम्बर 2011 के दौरान निरीक्षण और रात्रि विश्राम के लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण

पदनाम	पदों की संख्या	निरीक्षण			रात्रि विश्राम		
		कुल लक्ष्य जो प्राप्त करने थे	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	कुल लक्ष्य जो प्राप्त करने थे	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
मु.अ.और अ.मु.अ.	6	273	242	88.64	180	131	72.78
अधी.अ.	19	1292	889	68.81	855	296	34.62
अ.अ.	53	3816	3237	84.83	3021	1310	43.36

स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

8. कार्य का निरीक्षण करने के मानदण्ड मु0अ0-30, अ0मु0अ0-90, अधी.अ.-90, अ.अ.96 और रात्रि ठहराव के लिए मु0अ0-20, अ0मु0अ0-60, अधी.अ0-60 और अ0अ0-75

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से पता चलता है कि अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 के दौरान चारों संभागों में मुख्य अभियंता से अधिशाषी अभियंता तक निरीक्षण और रात्रि ठहराव के क्रमश: 68.81 से 88.64 प्रतिशत और 34.62 से 72.78 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किये। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि इन प्राधिकारियों द्वारा न तो निरीक्षण प्रपत्र जारी किये गये और न ही तीन सभांगो (जयपुर, कोटा और हनुमानगढ) से अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्त हुए। वर्ष 2009-10, 2010-11, दिसम्बर 2011 से मार्च 2012 की निरीक्षण से सबंधित सूचना और पंजिका, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराई।

- अधिशाषी अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. खण्ड हनुमानगढ के अभिलेखों की समीक्षा में पता चला कि भाखडा नहर प्रणाली (बी.के-12) की मोरजान्ड़ा, धोलीपाल और बहरामपुर लघु वितरिका के पुर्नवास का कार्यादेश एक संवेदक को ₹ 15.29 करोड़ में 12 मई 2006 को दिया गया था। संवेदक को कार्य 11 मई 2008 तक पूर्ण करना था परन्तु बहरामपुर लघु वितरिका में पेड़ों की कटाई में 234 दिनों की देरी, रीच आरडी 13.350 से 13.705 कि.मी. में भूमि अवाप्ति में 174 दिनों की देरी और नहर क्षमता में संशोधन के लिए 191 दिनों की देरी के कारण कार्य कुल मिलाकर 673 दिन विलम्बित हुआ और संवेदक द्वारा वास्तव मे मार्च 2010 मे पूर्ण किया। यह पाया गया कि कार्य में विलम्ब का मुख्य कारण खण्डीय अधिकारी की शिथिलता या अनुश्रवण की विफलता था। राज्य सरकार ने मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग (उत्तर), हनुमानगढ़ को कार्य में विलम्ब और अधिकारियों की शिथिलता के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए निर्देश जारी किये (दिसम्बर 2010), परन्तु अधिकारियों के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नही हुई (मार्च 2012)। संवेदक को 36 वें रनिंग बिल तक कुल ₹ 14.79 करोड़ का व मूल्य वृद्धि के ₹ 2.55 करोड़ का भुगतान किया गया था। विभाग द्वारा कोई भी अवरोध पंजिका का संधारण नही किया गया था। 673 दिनों की देरी के परिणामस्वरुप निर्धारित पूर्णता तिथि के पश्चात् किये गये कार्य हेतु संवेदक को मूल्य वृद्धि के लिए ₹ 71.19 लाख का परिहार्य भुगतान किया गया। इस प्रकार, विभाग के स्तर पर अनुश्रवण की विफलता और कार्य पूर्णता में देरी के कारण संवेदक को मूल्य वृद्धि का भुगतान किया, जिससे बचा जा सकता था।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि उत्तरदायित्व निर्धारण का मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

उपयोग में ली गई सामग्री का मानदण्डों के अनुरुप न होना।

- भीखा भाई सागवाडा नहर (रीच आरडी 21.070 से 21.100 कि.मी.) के बाँध खण्ड द्वारा संधारित सामग्री परीक्षण पंजिका की समीक्षा के दौरान पाया गया कि रेत और एग्रीगेट निम्न तालिका 5 में दिये विवरणानुसार निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं पाये गये।

तालिका 5: निर्माण मे प्रयुक्त सामग्री के मानदण्ड व परिणाम का विवरण

दिनांक	स्थान	सामग्री	परिणाम	मानदण्ड
15 फरवरी 2011	21070 से 21100 मी.	रेत	एफ.एम.3.20	2.20 से 3.00
20 फरवरी 2011	-वही-	-वही-	एफ.एम.3.11	-वही-
24 फरवरी 2011	-वही-	-वही-	एफ.एम.3.12	-वही-
16 मई 2011	21070 मी.	-वही-	एफ.एम.3.33	-वही-
23 मई 2011	21040 मी.	एग्रीगेट 4.75 एमएम	81	90-100
		रेत	एफ एम 3.32	2.20 से 3.00
	पियर क्रमांक 11 आरसाइड	एम-20 300 माइक्रोन	6	8-30
21 जून 2011	पियर-9	10 एम.एम.	19-23	25-55

- ***दैनिक सीमेन्ट खपत पंजिका***

पंजिकाओं का समुचित रखरखाव न होना।

रोहिणी लघु सिचाई परियोजना की पंजिका की जाँच करने पर यह विदित हुआ कि सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधानों के अनुसार पंजिका का संधारण निर्धारित प्रोफार्मा प्रपत्र 'आर.पी.डब्ल्यू.ए.35 ए' में करने के स्थान पर सादे रजिस्टर का उपयोग किया जा रहा था। इस पंजिका में दो प्रविष्ठियों के मध्य स्थान रिक्त पाये गये। इसके अलावा, सीमेन्ट बैगों की मात्रा (340, 360 और 340 बैग) जो कि क्रमशः 26 मार्च 2012, 28 मार्च 2012 और 29 मार्च 2012 को प्राप्त हुई थी, पेन्सिल से दर्ज की गई। बीजक/जी आर क्रमांक संदर्भ हेतु दर्ज नहीं पाये गये, इन तिथियों पर अंतिम शेष नही निकाला गया। यह सीमेन्ट पंजिका के अनुचित रखरखाव को दर्शाता है और इस प्रकार कार्य पर सीमेन्ट की वास्तविक खपत को सत्यापित नहीं किया जा सका।

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग ने स्वीकार किया (अप्रेल 2012) कि बीजक प्राप्त न होने के कारण सीमेन्ट पंजिका में पेन्सिल से प्रविष्टियाँ की गई। सीमेन्ट पंजिका के उचित रखरखाव के संबध मे निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

- ***कार्य स्थल पंजिका***

कार्य अनुबन्ध कहता है कि एक योग्य 'स्थल अभियन्ता' की स्थल पर नियुक्ति, संवेदक द्वारा की जावेगी जो कार्य निष्पादन के दौरान, कार्य की गुणवत्ता पर निगरानी रखेगा और निरीक्षण अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणीयों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। रोहिणी लघु सिंचाई परियोजना के कार्य स्थल पंजिका की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि स्थल पर कार्य की गुणवत्ता के सबंध में 12 अवसरों पर अभियन्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों की अनुपालना प्रतिवेदन, पंजिका में दर्ज नही थी। बाँध पर योग्य 'स्थल अभियन्ता' की संवेदक द्वारा नियुक्ति नहीं की गई थी, योग्य स्थल अभियन्ता की अनुपस्थिति में और निरीक्षण अधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को समय-समय पर उचित अनुपालना के अभाव में अधोस्तर सामग्री के इस्तेमाल और बाँध पर अधोस्तर गुणवत्ता के कार्य की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।

अधिशाषी अभियंता ने कहा (अप्रेल 2012) कि समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की गई है। तदानुसार, कार्य किया गया था और निर्देशों की अनुपालना के लिए दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संवेदक द्वारा योग्य 'स्थल अभियन्ता' की नियुक्ति नही की थी और अनुबन्ध की शर्तो का उल्लघंन किया गया था, इसके अलावा कार्य की गुणवत्ता भी बिना अनुश्रवण के रही।

2.1.9.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 16(ii) कहता है कि विभाग में उचित वित्तीय संगठन सुनिश्चित करने के लिए, अधीनस्थ अधिकारियों और आंतरिक जाँच दलों के माध्यम से वित्तीय सलाहकार, संभाग से उपखण्डीय कार्यालयों तक का लगातार निरीक्षण करेगा।

खंडों के अभिलेखों और विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की समीक्षा से पता चला कि पूरे विभाग और इसकी इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा कराने के लिए केवल एक, दो सदस्यीय (एक सहायक लेखा अधिकारी और एक कनिष्ठ लेखाकार) लेखापरीक्षा दल के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। विभाग और इसकी इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा 1994 से बकाया चल रही थी, क्योंकि स्टाफ अपर्याप्त था। आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए कोई निर्धारित मानदण्ड नही पाये गये।

यदि बताई गई कमियों का तुरंत निराकरण नही किया जाता है तो आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता खत्म हो जाती है। मार्च 2012 में, 905 अनुच्छेद और 116 निरीक्षण प्रतिवेदन निम्न तालिका 6 में दिये गये विवरणानुसार बकाया थे।

तलिका 6: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन और अनुच्छेदो की स्थिति

क्र.स.	संभाग का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या	सबसे पुरानी निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद
1	जयपुर	45	363	1(4/83)	03
2	जोधपुर	22	141	1(4/93)	02
3	कोटा	22	119	6(4/93)	24
4	उदयपुर	27	282	2(4/83)	20
योग		**116**	**905**	**10**	**49**

स्त्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

2.1.9.3 लेखापरीक्षा को प्रतिउत्तर

प्रधान महालेखाकार (आ.एवं रा.क्षे.ले.प.),जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) और इसके अधीनस्थ कार्यालयों की लेखापरीक्षा करने का कार्य करता है और निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) के माध्यम से अनियमितताओं को सूचित करता है। मार्च 2012 में 495 नि.प्र. और 1,843 अनुच्छेद, निम्न तालिका 7 में दिये गये विवरणानुसार अनुपालना के लिये बकाया थे।

तालिका 7: ज.सं.वि. के बकाया अनुच्छेदों/नि.प्र. का 31 मार्च 2012 को अंतिम शेष

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		जोडे गये		अंतिम शेष	
	नि.प्र.	अनुच्छेद	नि.प्र.	अनुच्छेद	नि.प्र.	अनुच्छेद
2009-10	378	1,135	57	273	435	1,408
2010-11	435	1,408	45	297	480	1,705
2011-12	480	1,705	15	138	495	1,843

यह बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की अनुपालना और निपटान के प्रति विभाग के स्तर पर गम्भीरता की कमी को दर्शाता है।

2.1.10 वित्तीय प्रबन्धन

2.1.10.1 वर्ष 2009-12 के दौरान राजस्व मद 2700 से 2702 में मूल बजट आंवटन ₹ 3,945.07 करोड़ था जबकि पूँजीगत मद 4700 से 4702 और 4711 मे

यह ₹ 2,588.80 करोड़ था, जिसके विरुद्ध क्रमशः ₹ 3,873.35 करोड़ और ₹ 2,050.07 करोड़ का व्यय किया गया ***(परिशिष्ट 2.5)*** बजट आवंटन और व्यय की समीक्षा मे निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला।

- राजस्थान बजट नियमावली के पैरा 52 और 53(2) के अनुसार, बजट की तैयारी हेतु आवश्यक है कि प्राक्कलन, जहाँ तक सम्भव हो सके, सही होना चाहिए और प्रावधान, वर्ष के दौरान उचित स्वीकृति के अधीन, जो कि वास्तव मे भुगतान के योग्य हों, पर आधारित होना चाहिए।

बजट आवंटन तथा व्यय की जाँच से विदित हुआ कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के वर्षो के दौरान पूंजीगत मद मे, बजट प्रावधान के विरुद्ध निर्माण कार्यो पर कम व्यय के कारण 10.23 प्रतिशत और 56.60 प्रतिशत के मध्य बचत हुई।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि आवंटित बजट का उपयोग नही किया गया क्योंकि स्थानीय समस्याओं, भूमि के अधिग्रहण तथा वन विभाग की मंजूरी के अभाव में कार्य की प्रगति धीमी रही। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि तैयार किये गये बजट अनुमान, उचित स्वीकृति के तहत वर्ष के दौरान होने वाले वास्तविक व्यय पर आधारित नहीं थे।

- व्यय के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान ''राजस्व व्यय'', ''पूंजीगत व्यय'' से 55.79 प्रतिशत से 139.04 प्रतिशत तक अधिक था।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि राजस्व मद में अधिक व्यय का कारण, छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतनमानों में संशोधन था तथा पूँजीगत मद में व्यय हस्तगत कार्य और कार्य करने वाली एजेन्सी द्वारा उसकी प्रगति पर निर्भर करता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बजट अनुमान यथार्थवादी आधारों पर नहीं थे और वर्ष के दौरान व्यय के अनुमान के बिना तैयार किये गये थे।

- आधिक्य/बचत के विवरण-पत्र वित्त विभाग (वि.वि.) को 1 फरवरी को प्रस्तुत किये जाने के प्रावधानों के विपरीत मुख्य अभियंता ने इन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया। यह देखा गया कि बजट नियमावली के विपरीत समस्त पुनर्विनियोजन आदेश वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन जारी किए गये।

मार्च में व्यय का आधिक्य।

2.1.10.2 राजस्थान बजट नियमावली के पैरा 139 के अनुसार, व्यय समान रुप से प्रबन्धित होना चाहिए, धन के खर्च का आधिक्य, विशेष रुप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में, साधारणतया वित्तीय नियमितता के उल्लंघन के रुप में माना जावेगा।

नमूना जॉच किये गये 25 खण्डों में से 18 खण्डों[9] के अभिलेखों और मासिक लेखों की जॉच से पता चला कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान मार्च माह में व्यय 26.07 प्रतिशत से 47.37 प्रतिशत के मध्य था, जैसा कि निम्न तालिका 8 में दर्शाया गया है।

तालिका 8: वर्ष 2009-10 से 2011-12 में मार्च के दौरान उपगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष में कुल व्यय	मार्च में किया गया व्यय	प्रतिशत
2009-10	179.57	46.83	26.07
2010-11	283.69	134.40	47.37
2011-12	212.28	77.04	36.29

स्त्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि ज्यादातर कार्य फरवरी और मार्च में निष्पादित किये गये थे जिससे मार्च में बीते हुए महीनों की तुलना में व्यय में वृद्धि हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि किया गया व्यय बजट नियमावली के प्रावधानों के विपरीत था।

निक्षेप कार्यो पर अधिक व्यय ₹ 2.01 करोड़ की वसूली का अभाव।

2.1.10.3 लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (लो.नि.वि. एवं ले.नि.) के नियम 568 के अनुसार निक्षेप निर्माण कार्य पर व्यय, प्राप्त निक्षेपों की रकम तक सीमित रखा जाना अपेक्षित है और अधिक व्यय की गई राशि की तुरंत वसूली की जानी चाहिए।

नमूना जॉँच किये गये 25 में से पांच खण्डों के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि पंचायती राज संस्थाओं के निक्षेप कार्यो पर जमा राशि से अधिक व्यय की गई राशि ₹ 2.01 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.6)*** की वसूली/समायोजन आज तक नहीं किया गया (मई 2012)। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और कहा कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के समायोजन के उपरांत निक्षेप कार्य की शेष राशि की वसूली कर ली जावेगी।

9. अ.अ., ज.सं. खण्ड छबडा, चित्तौडगढ, दौसा, डूॅगरपुर, अ.अ., ज.सं.एस.के.ए.पी. नहर खण्ड डूॅगरपुर, अ.अ., ज.सं. आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. खण्ड हनुमानगढ, अ.अ., ज.सं. खण्ड-II हनुमानगढ, अ.अ., ज.सं. सीसीपी खण्ड झालावाड, अ.अ., ज.सं.खण्ड जोधपुर, करौली, कोटा, मेडतासिटी, रावतसर, अ.अ., फील्ड कार्यशाला खण्ड एनसीपी सांचौर, अ.अ., एनसीपी खण्ड-I सांचौर, अ.अ., ज.सं. खण्ड सीकर, सूरतगढ और उदयपुर ।

सरकारी खाते में जमा न कराये गये व्यपगत निक्षेप ₹ 0.95 करोड़।

2.1.10.4 लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 601 के अनुसार, 'निक्षेप' मद के अधीन सभी शेष, जो तीन वर्षो से अधिक अदावाकृत रहते है, को राज्य की संचित निधि में "व्यपगत निक्षेप" के रुप में जमा किया जाना अपेक्षित हैं।

दो खण्डों की नमूना जाँच से पता चला कि अगस्त 1989 और मई 2009 के बीच विभिन्न संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जमा कराई गई राशि ₹ 0.95 करोड़ अदावाकृत पड़ी हुई हैं और निम्न विवरणानुसार नवम्बर 2012 तक राज्य की संचित निधि में जमा नहीं कराई गई थी।

तालिका 9: सरकारी खाते में जमा न कराये गये व्यपगत निक्षेप

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	खण्ड का नाम	अवधि	राशि
1	अ.अ.,ज.सं.वि.,उदयपुर	8/1989 से 9/2008	0.24
2	अ.अ.,ज.स.वि.,करौली	11/94 से 5/2009	0.71
योग			**0-95**

स्त्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि समीक्षा के उपरांत राशि राजस्व मद में जमा करा दी जावेगी।

कोषागार से चैकों तथा चालानों के मिलान का अभाव।

2.1.10.5 कोषागार से चैकों तथा चालानों के मिलान का अभाव

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 722 के अनुसार, माह की समाप्ति के पश्चात् यथा शीघ्र, सभी कोषागारों से सम्पूर्ण खण्ड के संव्यवहारों का मासिक निपटान किया जाना चाहिए।

16 खण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच ***(परिशिष्ट 2.7)*** में पता चला कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा जारी किये गये चैकों (₹ 7.74 करोड़) तथा जमा कराये गये चालानों (₹ 0.39 करोड़) का कोषालयों से मिलान, खण्डों में लम्बित था। यद्यपि विभागीय तथा कोषागारों में दर्ज आंकड़ो का प्रतिमाह मिलान किया जा रहा था परन्तु उक्त अन्तर का मिलान नहीं किया जा सका। दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि चैकों और चालानों की राशियों के अन्तर को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

₹ 0.93 करोड़ के अग्रिम की वसूली/समायोजन का अभाव।

2.1.10.6 लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 566 के अनुसार वैयक्तिक दायित्व जैसे रोकड़ या स्टॉक की कमी, अस्थायी अग्रिम, स्थायी अग्रिम, रोकड़ या स्टॉक की वास्तविक हानि आदि की मदों के संबंध 'विविध निर्माण कार्य अग्रिम' के प्रति विकलन, व्यक्ति के नाम के प्रति होगा तथा उसका निस्तारण जल्द से जल्द

किया जायेगा। आगे, नियम 130 उपबन्धित करता है कि लघु भुगतानों को करने के लिए कर्मचारी को दिये गये अग्रदाय/अस्थायी अग्रिम को अग्रिम दिये जाने की तिथि से 15 दिवसों में समायोजित किया जाना आवश्यक है।

आठ खण्डों के अभिलेखों की नमूना जांच ***(परिशिष्ट 2.8)*** में पता चला कि अग्रदाय/अस्थायी अग्रिम की राशि ₹ 0.93 करोड की वसूली/समायोजन आज तक नहीं हुआ था (दिसम्बर 2012)। राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि वसूली और समायोजन की कार्यवाही चल रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राशि की वसूली न करना विभाग के स्तर पर उदासीनता को दर्शाता है।

किराये की वसूली का अभाव।

2.1.10.7 वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1(55)जी.ए./II/77(फरवरी 1998) के अनुसार सरकारी आवासीय सुविधा की वसूली की दर को समय-समय पर संशोधित कर उन कर्मचारियों से वसूली की जानी है जिनको आवास आवंटित किया गया है। अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, सूरतगढ के अभिलेखों की जॉंच से पता चला कि विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को राजकीय आवास उपलब्ध कराये गये थे, परन्तु मासिक किराये के ₹ 5.71 लाख की वसूली नहीं की गई, जिसमें से राशि ₹ 4.34 लाख एक सेवानिवृत कर्मचारी से वसूलनीय थी ***(परिशिष्ट 2.9)***।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि किराये की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि किराये की मासिक वसूली की निगरानी नहीं की गई जिसके परिणामस्वरुप ₹ 5.71 लाख के किराये की वसूली नहीं हुई।

2.1.10.8 हिस्सा लागत की वसूली का अभाव

रा.रा.वि.उ.नि. से हिस्सा लागत ₹ 27.19 करोड़ की वसूली का अभाव।

- जल संसाधन विभाग के 5 फरवरी 2007 के निर्णय के अनुसार, ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना की कुल लाइव भण्डारण क्षमता 1,000 एम.सी.एफ.टी. पानी में से 300 एम.सी.एफ.टी. पानी थर्मल पावर प्लांट, छबडा के लिए आरक्षित किया गया था। इस प्लान्ट को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम (रा.रा.वि.उ.नि.) द्वारा विकसित किया जाना था। ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना की दिनांक 15 मई 2007 को मूल स्वीकृत राशि ₹ 44.73 करोड़ के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को हिस्सा लागत ₹ 17.35 करोड़ वहन करनी थी। संशोधित परियोजना लागत ₹ 106.95 करोड़ के कारण इसे संशोधित कर ₹ 37.19 करोड़ कर दिया गया था (दिसम्बर 2010)। कुल हिस्सा लागत ₹ 37.19 करोड़ में से केवल ₹ 10 करोड़ ही राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा 5 मार्च 2011 को भुगतान किया गया था तथा शेष ₹ 27.19 करोड़ की राशि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम से अभी भी वसूल की जानी थी (दिसम्बर 2012)।

तथ्यो को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि शेष राशि जल्दी से जल्दी जमा कराने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम से अनुरोध किया गया हैं।

ज.स्वा.अ.वि. से ₹ 246.65 करोड़ की अंश लागत की वसूली का अभाव।

- केन्द्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (त्व.सि.ला.का.) के तहत ₹ 1,541.36 करोड़ की लागत की नर्मदा नहर परियोजना के निर्माण की स्वीकृति सिंचाई के साथ-साथ पीने के पानी की आपूर्ति के लिए प्रदान की गई थी। लागत को बाद में संशोधित कर ₹ 2,481.49 करोड़ कर दिया गया जिसमें से ₹ 246.65 करोड़, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को वहन करने थे। परियोजना को 31 मार्च 2013 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

मुख्य अभियंता नर्मदा, सांचौर के अभिलेखों की समीक्षा करने पर पता चला कि हिस्सा लागत ₹ 246.65 करोड़, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से वसूल नहीं किये गये थे।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि हिस्सा लागत की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.1.10.9 निधियों का विपथन

निधियों का विपथन ₹ 3.55 करोड़।

फलौदी कस्बे में पीने के पानी एवं क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु दिनांक 14 जून 2005 को राशि ₹ 1.36 करोड़ के कार्य की राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी जो पुनः संशोधित कर ₹ 3.51 करोड़ कर दी गई (18 अक्टूबर 2007)। इसका मुख्य उद्देश्य फलौदी नगर पालिका क्षेत्र में स्थित पाँच छोटे तालाबों को 14.35 एम.सी.एफ.टी. पानी भण्डारण क्षमता की झील में परिवर्तन करना था। अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, खण्ड जोधपुर द्वारा ₹ 2.78 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 30 जुलाई 2008 को संवेदक को जारी किया गया था। वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 9 जून 2009 थी परन्तु कार्य ₹ 3.55 करोड़ का व्यय करने के पश्चात, वास्तव में 30 अप्रैल 2011 को पूर्ण हुआ।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि ये कार्य नगर क्षेत्र (शहरी स्थानीय निकाय) से संबन्धित थे तथा पीने के पानी के साथ-साथ पर्यटन के उद्देश्य के लिए निर्मित किये गये थे परन्तु कार्य सिंचाई के शीर्ष 4702-जल संचयन संरचना में आवंटित धनराशि से निष्पादित कराये गये थे। इस प्रकार, पानी का उपयोग सिंचाई उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया, सिंचाई निधि का पर्यटन विभाग के कार्यो के लिए विपथन कर दिया गया।

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, खण्ड जोधपुर ने कहा (मई 2012) कि झील के निर्माण का उद्देश्य पर्यटन विकास के साथ फलोदी कस्बे के लिये पीने के पानी का

अतिरिक्त भण्डारण करना था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पाँचो लघु तालाबों का एक झील के रुप में रुपान्तरण करने का उद्देश्य सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना नहीं बल्कि पीने का पानी उपलब्ध कराना व पर्यटन था।

2.1.10.10 जल दरें

जल दरों में संशोधन के अभाव में राजस्व ₹ 147.50 करोड़ से वंचित रहना।

- राष्ट्रीय जल नीति (1987) में सिफारिश की गई कि विभिन्न उपयोगों के लिए जल प्रभार इस तरह तय किया जाना चाहिए कि वह कम से कम संचालन एवं रखरखाव (सं. एवं र.) प्रभार तथा पूंजी लागत के आंशिक भाग की पूर्ति करें। राज्य जल नीति (फरवरी 2010) में भी जल प्रभार इस प्रकार निर्धारण करने को कहा गया जिससे कि उपयोगकर्ता इस संसाधन की कमी व इसके मितव्ययी उपयोग के बारे में जाने।

इसके अलावा, XIII वें वित्त आयोग ने जल क्षेत्र प्रबन्धन हेतु ₹ 224 करोड़ का अनुदान (वार्षिक आवंटन ₹ 56 करोड़ का) चार वर्षो की अवधि अर्थात् 2011-15 के लिए जल प्रभार में अभिवृद्धि की शर्त के साथ स्वीकृत किया था, परन्तु अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया (अप्रैल 2012)। जल दरों में पिछला संशोधन राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 1999 में किया गया था। पानी की विद्यमान दरें अलग-अलग फसलों के लिए अलग-अलग जल प्रभार की औसत गणना के द्वारा तय की गई थी।

सिंचाई जल की वर्तमान दर ₹ 142.70 प्रति है. की गणना, भारित औसत दर पर की गई थी। इस दर पर वसूल की गई राशि, संचालन एवं रख रखाव के खर्चो की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी। विभाग ने वर्ष 2006 में बढी हुई जलदर ₹ 260.10 प्रति है. प्रस्तावित की थी। यदि इन दरों को वर्ष 2006 से प्रभावी किया जाता तो प्रतिवर्ष ₹ 24.58 करोड़ अधिक वसूल किया जा सकता था। इसके परिणामस्वरुप, राज्य सरकार छः वर्षो मे ₹ 147.50 करोड़ के राजस्व से वंचित रही।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि जलदरों में संशोधन राजस्थान सरकार के अधीन वर्ष 2006 से विचाराधीन है।

कच्चे पानी के शुल्क की सू. सु.थ.पा.के. से वसूली का अभाव ₹ 12.46 करोड़।

- जल संसाधन विभाग द्वारा सूरतगढ सुपर थर्मल पावर केन्द्र (सू.सु.थ.पा.के.), सूरतगढ को बिजली उत्पादन के लिए, जनवरी 1994 से कच्चे पानी की आपूर्ति बिना कोई अनुबन्ध निष्पादित किये, की जा रही थी। पानी की टैरिफ के अनुसार, पानी की आपूर्ति वाणिज्यिक दर ₹ 20 प्रति हजार घनफीट की दर से की जानी थी।

जल संसाधन खण्ड, सूरतगढ के अभिलेखों की समीक्षा में पता चला कि सूरतगढ सुपर थर्मल पावर केन्द्र से जल प्रभार की राशि ₹ 12.46 करोड़ फरवरी 2012 तक

बकाया थी। राजस्थान सिंचाई और ड्रेनेज नियम, 1955 के नियम 31(4) के तहत दण्डनीय ब्याज प्रभारित करते हुए विभाग ने ऐसी वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि सू.सु.थ.पा.के. को नोटिस जारी कर दिये हैं और राशि की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

ज.स्वा.अ.वि. से जल प्रभार ₹ 77.66 लाख की वसूली का अभाव।

- जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पीने के पानी की आपूर्ति के लिए वसूल की जाने वाली जलदर को वर्ष 1995 में अधिसूचित किया गया था। आठ खण्डों ***(परिशिष्ट 2.10)*** की नमूना जाँच में पता चला कि जल प्रभार की राशि ₹ 77.66 लाख जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से लेना बाकी था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि ज.स्वा.अ.वि. से वसूली का मामला पत्राचारधीन हैं।

काश्तकारों से सिंचाई राजस्व की वसूली का अभाव।

- जल संसाधन विभाग ने सिंचाई उद्देश्य के लिए पानी के उपयोग की, काश्तकारों से वसूलनीय जल प्रभार की दरें अधिसूचित की (1999)।

वर्ष 2009-12 के लिए मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं तथा विभाग के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि जल संसाधन विभाग के पास जल प्रभार से प्राप्त राजस्व का विवरण उपलब्ध नहीं था क्योंकि सिंचाई राजस्व की वसूली के आंकलन का कार्य 2001 से राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा था। जल संसाधन विभाग के पास राजस्व के आंकलन व वसूली पर निगरानी का कोई तंत्र नहीं था। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग ने तीन सम्भागों हनुमानगढ, उदयपुर और जयपुर से संबंधित सूचनायें उपलब्ध कराई, जिसमें से 2009-12 के दौरान केवल ₹ 11.40 करोड़ से ₹ 21.43 करोड़ (19.90 प्रतिशत से 35.09 प्रतिशत) के मध्य राजस्व की वसूली की गई थी।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि सिंचाई राजस्व संग्रहण का कार्य जल संसाधन विभाग के पास नहीं था और इसकी वसूली राजस्व विभाग द्वारा की जा रही थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आक्षेपित संभागो में राजस्व की वसूली का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा था।

2.1.11 निष्कर्ष

लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यो को निर्धारित समय पर पूरा न करने अथवा परियोजना स्वीकृत करने से पूर्व भूमि उपलब्ध न होने, ड्राइंग व डिजाईन अनुमोदन में विलम्ब, धनराशि की कमी के कारण कार्य पूर्णता में काफी देरी होने से, लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के माध्यम से, सतही जल का सिंचाई के लिए उपयोग करने

के राजकीय उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। इन सभी के परिणामस्वरूप परियोजनाओं के लाभों को जनता को प्राप्त करने में विलम्ब तथा लागत में अभिवृद्धि हुई।

परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए लाभ-लागत अनुपात की गणना गलत तरीके से की गई। अंततः पर्याप्त वर्षा होने के बावजूद भी बाँधो में पानी नही आने/कम आने के कारण परियोजनाएें पूर्ण होने के बावजूद अव्यवहार्य सिद्ध हुई। जल दरों में संशोधन न करने के कारण राज्य को राजस्व से तथा जल नियामक प्राधिकरण गठित न करने के कारण यूरोपियन आयोग से मिलने वाले अनुदान से वंचित होना पड़ा। जमा कार्यो पर किये गये अतिरिक्त व्ययों की वसूली का अभाव और अदावाकृत जमा शेषों को राज्य की संचित निधि में जमा कराने का अभाव, विविध सार्वजनिक निर्माण अग्रिम और अग्रदाय/अस्थायी अग्रिमों के समायोजन/वसूली का अभाव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ज.स्वा.अ.वि.) से हिस्सा राशि और सूरतगढ सुपर थर्मल पावर केन्द्र (सू.सु.थ.पा.के.), सूरतगढ से कच्चे पानी की लागत की वसूली का अभाव पाया गया।

पर्यवेक्षण और प्रशासनिक निरीक्षण प्रणाली, निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था। विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा 1994 से बकाया थी जो यह दर्शाती है कि वहाँ कोई सुदृढ वित्तीय संगठन प्रणाली नही है। इसके अलावा, विभाग में कर्मचारियों/फर्मो/खण्डों इत्यादि से विविध सार्वजनिक निर्माण अग्रिम की वसूली में ढिलाई दिखाई दी। प्रधान महालेखाकार द्वारा जारी किये गये बहुत सारे निरीक्षण प्रतिवेदन व अनुच्छेद अनुपालना हेतु बकाया थे।

2.1.12 अनुशंसाएँ

- विभाग के राजस्व में वृद्धि के लिए सिंचाई दरों के पुनः निर्धारण और जल नियामक प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता है।
- राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बजट यथार्थवादी और आवश्यकता पर आधारित बनाया गया है।
- परियोजना के कार्य की स्वीकृति/कार्यादेश संवेदकों को देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि विवाद रहित भूमि उपलब्ध है और वन भूमि के संबंध मे वांछित अनुमतियाँ प्राप्त कर ली गई हैं।
- परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए तकनीकी अधिकारियों द्वारा कार्यो की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- आन्तरिक लेखापरीक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों की समय पर अनुपालना प्रस्तुत की जानी चाहिए।